सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 16 राँची, गुरुवार

17 **पौष, 1937 (श०)**

7 जनवरी, 2016 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2015

संख्या-म0नि0-I-स्था0-129/46/2014/2282--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य अवर मत्स्य सेवा के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

भाग - 01

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली ''झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा नियमावली-2015'' कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:-

जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(i) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के संदर्भ में निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

(ii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा समकक्ष पदों की अवर मत्स्य सेवा ।

(iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

(iv) '' राज्य सरकार '' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(v) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल।

(vi) ''विभाग'' से अभिप्रेत है कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ।

(vii) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है अवर मत्स्य सेवा के सदस्य जिसके अन्तर्गत मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी होंगे।

(viii) ''परीक्ष्यमान'' से अभिप्रेत है, स्थायी पदों के विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से सीधी भर्ती से नियुक्त अवर मत्स्य सेवा के पदाधिकारी।

(ix) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के भाग-04 में यथा विहित रीति से भर्ती।

(x) ''निदेशक'' से अभिप्रेत है निदेशक मत्स्य, झारखण्ड।

(xi) ''नियोजक'' से अभिप्रेत है निदेशक मत्स्य, झारखण्ड ।

(xii) ''जिला मत्स्य पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारी।

(xiii) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है नियमावली के साथ उपाबद्ध परिशिष्ट-I परिशिष्ट-II

भाग - 02

सेवा

3. **(क)** यह सेवा राज्यस्तरीय अवर मत्स्य सेवा मानी जायेगी। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से जो कर्मचारी/पदाधिकारी कार्यरत हैं, वे इस सेवा में स्वतः शामिल माने जायेंगे।

(ख) अवर मत्स्य सेवा में निम्नलिखित पद होंगे:-

क्र0	विषय	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे
1	मूल कोटि	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक (मौलिक पद)	PB-II, 9300-34800	4200
2	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	PB-II, 9300-34800	4600

(ग) सेवा बल:-

सेवा के प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली-2015 के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

(घ) पद सृजन:-

सेवा में किसी कोटि के अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा।

(ड.) इस संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय होंगे ।

भाग - 03
नियंत्रण

4. **(क) सेवा के सभी कोटि के पदों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, मत्स्य का होगा जो सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।**

(ख) मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के संदर्भ में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं उच्चतर पदों के धारक तथा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के संदर्भ में अधिसूचना संख्या-624 **दिनांक** 04-04-2005 **द्वारा अधिसूचित एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली-**2004 **में निहित विभागीय पदसोपान के अनुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उच्चतर पदों के धारक जिनके कार्यक्षेत्र में ये पदस्थापित रहेंगे इनके परिचालनात्मक नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगे।**

भाग - 04
नियुक्ति

5. सेवा में प्रवेश बिन्दु:-

सेवा की मूल कोटि का पद मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का होगा जो आयोग द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आलोक में निदेशक मत्स्य द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(क) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता -

कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब वह -

I. **भारतीय संघ का नागरिक है तथा**
II. **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित-उम्र सीमा लागू होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र** 22 **वर्ष होगी।**
III. **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम एवं प्रक्रिया के अधीन ही नियुक्ति की जायेगी।**
IV. **तकनीकी अर्हता:- आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण मत्स्य विज्ञान स्नातक/जन्तु विज्ञान (प्रतिष्ठा) स्नातक का मूल योग्यताधारी ।**
V. **सीधी भर्ती के लिए रिक्ति की सूचना आयोग को समय-समय पर दी जायेगी। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की** 01 **जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना की जायेगी तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से** 28/29 **फरवरी तक अधियाचना आयोग को भेज दी जायेगी।**
VI. **आयोग द्वारा स्नातक स्तर के पदों के लिए यथासम्भव तैयार किया गया सिलेबस मान्य होगा। परन्तु उक्त सिलेबस में स्नातक स्तरीय मत्स्य विज्ञान/जन्तु विज्ञान का सिलेबस भी एक अतिरिक्त विषय होगा।**

VII. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निम्नांकित रूप में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नये नियम/अधिनियम, संकल्प अथवा परिपत्रों से आच्छादित होगा।

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत्
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत्
पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1	34 प्रतिशत्
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत्

VIII. इस नियमावली के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी निहित रहने पर भी आयोग द्वारा अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसा अतिरिक्त प्रमाण या उपयुक्तता से संबंधित कोई बिन्दु प्रस्तुत करें जैसा कि आयोग आवश्यक समझे।

IX. आयोग से सफल अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति निदेशक मत्स्य द्वारा की जायेगी। नियुक्ति के पूर्व यदि किसी उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, जन्म तिथि, छाया चित्र, हस्ताक्षर, जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो) की जाँच के क्रम में अपूर्ण या गलत पाई जाती है, तो वैसे उम्मीदवार की अनुशंसा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। आयोग से अनुशंसा का अर्थ नियुक्ति का अधिकार नहीं समझा जायेगा।

(ख) नियुक्ति के लिए निरहर्ता, कोई व्यक्ति:-

(i) जो किसी पति या पत्नी के रूप में रह रहे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा करने का अनुबंध किया हो इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ii) कोई व्यक्ति जो सिद्ध दोश अथवा मानसिक अवसाद ग्रस्त अथवा दिवालिया हो इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(iii) कोई व्यक्ति जिसका चरित्र सरकारी सेवा आचार नियमावली के अनुरूप न हो पात्रता के लिये सक्षम नहीं होगा।

(iv) सेवा में नियुक्ति के समय दिये गए बयान/ कागजात/ आवेदन में पाई गई किसी प्रकार की भिन्नता/ गड़बड़ी पाये जाने पर सेवा निरस्त (ab initio void) कर दी जायेगी।

(ग) परीक्ष्यमान अवधि:- मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जाएगा। परीक्ष्यमान की अवधि दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा, कार्यकलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने पर ही मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर उनकी परीक्ष्यमान अवधि पूर्ण मानी जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर, उनके विरूद्ध गम्भीर आरोप होने पर, सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(घ) प्रशिक्षण:- आयोग द्वारा अनुशंसित एवं परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षकों को मत्स्य निदेशालय द्वारा विशेष रूप से निर्धारित 45 दिनों का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(ड.) **विभागीय परीक्षा:- मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक तथा वैसे मत्स्य प्रसार पदाधिकारी जो इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व ही सीधे मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए हैं को सेवा में सम्पुष्टि हेतु मत्स्य निदेशालय द्वारा आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा में उतीर्णता अनिवार्य होगी। विभागीय परीक्षा के सर्वोच्च नियंत्रक निदेशक, मत्स्य होंगे जिनके निदेशानुरूप विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा के आयोजन हेतु निदेशक, मत्स्य को आवश्यक नीति/प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा।**

मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को दो पत्रों यथा- (i) **प्रावैधिकी एवं** (ii) **लेखा निम्न स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसमें उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक पत्र में** 40 **प्रतिशत् अंक आवश्यक होंगे।**

मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मियों के तीन पत्रों की परीक्षा यथा- (i) **प्रावैधिकी**, (ii) **लेखा निम्न स्तर एवं** (iii) **प्रावैधिकी (मौखिक) उत्तीर्ण करनी होगी। उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक पत्र में** 40 **प्रतिशत् अंक आवश्यक होंगे।**

उपर्युक्त विभागीय परीक्षाओं के विभिन्न पत्रों के विषय वस्तु निम्न प्रकार होंगे:-

<u>प्रावैधिकी</u>

(i) **जलकृषि के विविध आयाम**

(ii) **भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य प्रक्षेत्र का योगदान**

(iii) **झारखण्ड राज्य की मात्स्यिकी का सांख्यिकी विश्लेषण**

(iv) **जलाशय मात्स्यिकी का विकास**

(v) **मिश्रित मत्स्य पालन तथा समेकित मत्स्य पालन**

(vi) **मत्स्य बीज उत्पादन तथा बीज बैंक की अवधारण**

(vii) **सीड सर्टिफिकेशन**

(viii) **कृत्रिम प्रजनन तथा हैचरी संचालन**

(ix) **तालाब निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण, मिट्टी का वर्गीकरण तथा तालाब की संरचना**

(x) **तालाब निर्माण तथा मापी पुस्तिका का संधारण**

(xi) **कृत्रिम आहार आधारित मत्स्य उत्पादन**

(xii) **रंगीन मछली पालन, प्रजनन एवं व्यवसाय**

(xiii) **मत्स्य पालक विकास अभिकरण, राजस्व जलकर प्रबंधन**

(xiv) **मछलियों में बिमारी एवं उनकी रोकथाम**

(xv) **तकनीक हस्तान्तरण एवं प्रचार-प्रसार माध्यम**

(xvi) **मत्स्य सांख्यिकी एवं डेटा संधारण**

लेखा निम्न स्तर

1. **सरकारी सेवकों का वर्गीकरण (समूह क, ख, ग एवं घ तथा ग्रेड पे आधारित)**
2. **सरकारी सेवक की परिभाषा**
3. **वेतन गणना तथा वेतन निर्धारण**
4. **विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ (उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, विशेष अवकाश, अर्द्ध वेतन का अवकाश तथा वेतन रहित अवकाश)**
5. **ग्रहणाधिकार**
6. **प्रभार**
7. **कार्यालय में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की पंजियाँ:-**
   - (i) **भण्डार पंजी**
   - (ii) **रोकड़ पंजी**
   - (iii) **उपस्थिति पंजी**
   - (iv) **विपत्र पंजी**
   - (v) **आकस्मिकता पंजी**
   - (vi) **निरीक्षण पंजी आदि**
8. **आकस्मिकता विपत्र का संधारण**
9. **सेवानिवृत्ति/ मृत्यु उपरान्त देय दावों की गणना**
10. **निलम्बन तथा निलम्बन भत्ता**
11. **लघु दण्ड तथा वृहत दण्ड**
12. **पुरस्कार तथा जय घोष**

मौखिक प्रावैधिकी

मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक संवर्ग के द्वारा दैनिक निष्पादित कार्यों से संबंधित विषय-वस्तु तथा प्रावैधिकी की लिखित परीक्षा से संबंधित विषय वस्तु।

(च) वेतनवृद्धि:- वित्त नियमावली अथवा तत्समय प्रवृत्त वेतन से संबंधित अन्य नियमावली के अनुसार वेतन एवं वेतनवृद्धियाँ विनियमित होंगी। अवर मत्स्य सेवा के कर्मियों जिसने अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षो की अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त नहीं की हो, जब तक कि विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट नहीं दी जाय, वह तब तक अगली वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा। जब तक कि वह विभागीय परीक्षा उतीर्ण न कर लें और उसमें उतीर्णता प्राप्त कर लेने पर अथवा विभागीय परीक्षा से छूट

प्राप्त होने पर उसकी वेतनवृद्धियाँ इस प्रकार पुननिर्धारित की जायेंगी मानो इस परन्तुक के अधीन रोकी ही नहीं गई थी, किन्तु रोकी गई वेतनवृद्धियों की अवधि के लिए अनुमान्य वेतन बकाया देय नहीं होगा।

(छः) पदस्थापन:- न्यूनतम 1000 हेक्टेयर जलक्षेत्र के आधार पर एक मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं न्यूनतम 4000 हेक्टेयर जलक्षेत्र के आधार पर एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का पदस्थापन स्वीकृत पदबल के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

(ज) सेवा सम्पुष्टि:- परीक्ष्यमान अवधि सफलता पूर्वक पूरी करने के उपरान्त सेवा सम्पुष्टि निदेशक मत्स्य द्वारा की जायेगी। इसके लिए हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा (यदि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक किया गया हो) तथा विभागीय परीक्षा उतीर्ण होना तथा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ आदि का संतोषप्रद होना अनिवार्य होगा।

(झ) कर्तव्य एवं दायित्व:- इस संवर्गों का कर्तव्य एवं दायित्व परिशिष्ट-II में उल्लेखित है।

भाग - 05

वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति प्रस्तुत करना

सामान्य

6. वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये सरकार द्वारा यथा निर्धारित नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा वार्षिक लिखी जानी है ।

7. प्रत्येक प्रतिवेदन बिना किसी पूर्व प्रतिवेदन के जिक्र किए हुए स्वतः पूर्ण होना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से एवं पर्याप्त पूर्णता के साथ इस रीति से होना चाहिए जिस तरह पदाधिकारी ने अपना कर्तव्य प्रतिवेदित वर्ष में पूरा किया है। उसकी अर्हता, योग्यता, ईमानदारी एवं निष्ठा तथा कोई चीज भी जिससे उस पदाधिकारी को सहायता मिल सके, जो प्रोन्नति देने की शक्ति धारित करता है, दर्शाना चाहिए जिसमें उस पदाधिकारी की उपयोगिता एवं क्षमता पर मंतव्य तथा अगले उच्चत्तर पद पर प्रोन्नति हेतु उसकी उपयुक्तता भी शामिल हो।

8. जो पदाधिकारी के प्रभार में छः माह से अधिक रहे हैं उन्हें लंबी छुट्टी पर या स्थानांतरण पर जाते समय अपने अधीनस्थ नियोजित पर्यवेक्षकों/पदाधिकारियों पर अभियुक्ति अभिलिखित कर देना चाहिये तथा यह अभ्युक्तियाँ वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदक पदाधिकारी के अपने मंतव्य के साथ सम्मिलित की जानी चाहिए।

9. सामान्यतः पदाधिकारी पर अभ्युक्ति तभी अभिलिखित की जानी चाहिये जब उन्होंने प्रतिवेदक पदाधिकारी के अधीन न्यूनतम तीन माह तक कार्य किया हो। यदि आवश्यक हो तो निदेशक, मत्स्य के द्वारा भी विशेष परिस्थिति में अभ्युक्ति अभिलिखित की जा सकेगी।

10. वार्षिक प्रतिवेदन पदाधिकारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में धारित सभी पदों के संबंध में तैयार किये जाने चाहिए।

11. एक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को अधिकतम प्रथम जून तक पहुँच जाना चाहिए।

12. संसूचन एवं प्रतिकूल अभ्युक्ति:-

(क) प्रतिकूल अभ्युक्ति संसूचित करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर निदेशक, मत्स्य का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

(ख) जब विभिन्न विभागीय वरीय पदाधिकारियों द्वारा अभिलिखित व्यक्तिगत मंतव्य पर प्रतिवेदन निर्मित हो, तो उच्चतम पदाधिकारी द्वारा यथा स्वीकृत मंतव्य ही संसूचन की दृष्टि से विचारणीय होगा।

भाग - 06

विशेष प्रावधान

13. इस नियमावली द्वारा अनाच्छादित बातों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा शर्ते वही होगी जैसा कि अन्य अवर सेवा के सदस्यों के लिए है या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य होगा।

14. जब कभी किसी नियम की सही व्याख्या के विषय में कोई संदेह उत्पन्न होता है, इसके निर्णय हेतु झारखण्ड सरकार के मत्स्य निदेशालय को निर्दिष्ट किया जायगा।

15. जब कभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की प्रोन्नति के लिये रोस्टर की सही व्याख्या विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसे निर्णय हेतु सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

भाग -07

प्रतिनियुक्ति

16. नियोजक तथा सदस्य दोनों की लिखित सहमति से सेवा के सदस्य को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग में अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी परिषद् या निगम में अथवा किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्वशासी निकाय में राज्य सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

भाग -08

प्रोन्नति

17. अवर मत्स्य सेवा के मूल कोटि मत्स्य प्रसार पर्यवक्षक (अराजपत्रित समूह-ख, वेतनमान 9300-34800 [PB-II] ग्रेड पे-4200) के पद से मत्स्य प्रसार पदाधिकारी (अराजपत्रित समूह-ख, वेतनमान 9300-34800 [PB-II]-ग्रेड पे-4600) के संवर्ग में रिक्त शत्-प्रतिशत् पदों पर प्रोन्नति देय होगी।

मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पदधारकों से ''वरीयता-सह-योग्यता'' के आधार पर जिन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो, के संदर्भ में झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करते हुए इस प्रयोजनार्थ

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर निदेशक मत्स्य के द्वारा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी।

(क) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन:-

कंडिका 17 में वर्णित विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:-

1.	निदेशक मत्स्य	-	अध्यक्ष
2.	उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	-	सदस्य
3.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से अन्यून न हों	-	सदस्य
4.	विभागीय स्क्रीनिंग समिति में कार्मिक विभाग/ वित्त विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी	-	सदस्य
5.	संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना के प्रभारी)	-	सदस्य सचिव

(ख) अनशुंसा का पैनल:- प्रोन्नति समिति की अनुशंसा निदेशक मत्स्य के द्वारा समिति को उपलब्ध कराई गयी कोटिवार रिक्तियों के आधार पर होगी। समिति प्रोन्नति योग्य उम्मीदवारों का कोटिवार पैनल तैयार करेगी जिसमें अगामी छः माह में रिक्त होने वाले पदों के विरूद्ध भी अनुशंसा दी जायेगी। प्रोन्नति आदेश निर्गत होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा सेवा संबंधी नये नियम/अधिनियम, संकल्प अथवा परिपत्रो से अनुशंसित पैनल आच्छादित होगा।

(ग) नियुक्तियाँ/प्रोन्नतियाँ/प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन आदि का आदेश:- इस सेवा के सभी पदों पर नियुक्तियाँ/प्रोन्नतियाँ/प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन/स्थायीकरण/सम्पुष्टि तथा दण्ड देने का आदेश निदेशक मत्स्य अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(घ) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी (वेतनमान-PB-II-9300-34800+ ग्रेड पे0 4600) की प्रकाशित अधिसूचना संख्या-624 दिनांक 04-04-2005 द्वारा अधिसूचित एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली - 2004 में निहित विभागीय पदसोपान में प्रोन्नति के द्वितीय स्तर का पद यथा जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं समकक्ष के स्वीकृत पदों (राजपत्रित वर्ग-2, वेतनमान-PB-II-9300-34800 + ग्रेड पे0 4800) पर 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति से एवं 50 प्रतिशत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदधारकों से झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी। इस प्रोन्नति समिति में निम्न सदस्य होंगे:-

I.	अध्यक्ष /सदस्य, झारखण्ड लोक सेवा आयोग	-	अध्यक्ष
II.	विभागीय सचिव	-	सदस्य
III.	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	-	सदस्य

IV.	सचिव, पर्यटन विभाग	-	सदस्य
V.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव/उप सचिव से अन्यून अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी	-	सदस्य
VI.	संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव/ उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव

18. प्रोन्नति के लिए चयन का मापदण्ड:-

प्रोन्नति के लिए चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियों द्वारा किया जाएगा। सभी प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम तीन गुना कर्मियों की सूची पर विचार करेगी। प्रोन्नति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

19. प्रोन्नति का पदसोपान:-

क्र.सं.	विषय	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	कालावधि
1	मूल कोटि	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक (मौलिक पद)	PB-II, 9300-34800	4200	प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।
2	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	PB-II, 9300-34800	4600	

20. सेवा में प्रोन्नति के लिए विभागीय दायित्वों की अनिवार्यता:-

मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक से मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु हिन्दी टिप्पणी परीक्षा एवं जनजातीय भाषा परीक्षा (यदि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक किया गया हो) के साथ-साथ निदेशालय स्तर पर आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

21. आरक्षण:-

राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण संबंधी नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

22. सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण:-

(क) सेवा के सभी कोटि के पदों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, मत्स्य का होगा जो सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(ख) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण- मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं उससे उच्चतर पदों के सदस्य जिस प्रखण्ड/अनुमण्डल/जिला में पदस्थापित रहेंगे इस संवर्गीय कार्यालय प्रधान के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

23. वरीयता का निर्धारण:- इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्रों/ आदेश के अनुरूप होगी।

24. अनुशासनिक कार्रवाई:- इस सेवा के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रावधान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के द्वारा नियंत्रित होगी।

25. प्रकीर्ण विषय:- इस नियमावली द्वारा की गई व्यवस्था के सिवाय सेवा के किसी कोटि में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अन्तर्गत वेतन का निर्धारण भी है) भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्ते तत्समय उस हेतु प्रवृत्त राज्य सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

26. नियमों का शिथिलीकरण:- यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो से संबंधित किसी नियम को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट होता है तो उस मामले में प्रयोज्य नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप करते हुए उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह न्यायोचित तथा साम्योचित रीति से मामले का निपटारा करने के लिए आवश्यक समझे संशोधित या शिथिल कर सकते हैं।

27. निरसन एवं व्यावृति:- इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व निर्गत नियमावली के अनुसूची-05, 06 एवं 07 निरसित समझे जाऐंगे। परन्तु ऐसे निरसन के बावजूद पूर्व के नियम/नियमावली यदि कोई हो, के अधीन किये गए कार्य/कार्रवाई के विषय में यह मान्य समझा जाएगा कि उक्त कार्य/कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किये गये हैं।

परिशिष्ट - I

क्र.	सेवा	पद का नाम/ कोटि	समूह/संवर्गीय/गैर संवर्गीय	वेतनमान	आयोग का नाम जिसकी अनुशंसा पर नियुक्त	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएँ	नियुक्ति प्राधिकार	परीक्ष्य मान अवधि	प्रशिक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अवर मत्स्य सेवा	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक (मूल कोटि)	समूह 'ख' अराजपत्रित /संवर्गीय	PB-II 9300-34800 ग्रेड पे-4200	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	यथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान की स्नातक डिग्री अथवा जन्तु विज्ञान (प्रतिष्ठा) जिनके द्वारा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की गई हो।	निदेशक मत्स्य	2 वर्ष	विभागीय मत्स्य निदेशालय द्वारा आयोजित

विभागीय परीक्षा एवं पाठयक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	समूह/ संवर्गीय/ गैर संवर्गीय	वेतनमान/ वेतन संरचना	कालावधि	सेवा नियुक्ति प्राधिकार
12	13	14	15	16	17	18
जलकृषि एवं अन्तर्देशीय मछलीपालन, मत्स्य सांख्यिकी, विभागीय परिपत्र, विभागीय योजनाएँ, सामान्य लेखा	1. निदेशक,मत्स्य - अध्यक्ष 2. उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - सदस्य 3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से अन्यून न हो - सदस्य 4. विभागीय स्क्रीनिंग समिति में कार्मिक विभाग /वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी - सदस्य 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना के प्रभारी) - सदस्य सचिव	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	समूह 'ख' अराजपत्रित/ संवर्गीय	PB-II 9300-34800 ग्रेड पे-4600	राज्य सरकार के अधीन विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा ग्रेड पे आधारित प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि	निदेशक मत्स्य

परिशिष्ट - II

मत्स्य निदेशालय अन्तर्गत अवर मत्स्य सेवा/संवर्ग के पदाधिकारियों के कर्तव्य

क्र.	पदनाम	कर्तव्य	
1	2	3	
1	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	1	विभागीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तालाबों एवं मत्स्य पालकों की पहचान कर प्रशिक्षण हेतु चयन करना।
		2	प्रशिक्षण शिविरों के संचालन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करना।
		3	मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण हेतु व्याख्यान, प्रदर्शनी एवं चलचित्र प्रदर्शन की व्यवस्था करना।
		4	अभिकरण के पुस्तकालय, आडियो भिजुअल तथा प्रयोगशाला संबंधी सामानों को अपने प्रभार में रखना और मत्स्य पालकों के हितार्थ उपयोग करना।
		5	प्रत्यक्षण तालाबों से अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन हेतु आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना तथा मत्स्य पालकों को प्रदर्शित करना।
		6	मत्स्य बीज उत्पादन हेतु प्रेरित प्रजनन कार्य के लिए मत्स्य बीज उत्पादकों के चयन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और प्रजनन कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा मत्स्य पालकों को प्रजनन कराने में मदद करना।
		7	जिला मत्स्य पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान द्वारा निर्देशित अन्य कार्यो का सम्पादन.करना।
		8	सरकारी जलक्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मत्स्य पालकों के साथ विभाग के समन्वय की व्यवस्था करना।
		9	जिला मत्स्य कार्यालय से प्रकाशित किये गये लिफलेट आदि का समुचित वितरण करना।
		10	प्रत्येक माह में समय पर अपना भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण दैनन्दिनी तथा यात्रा विपत्र प्रेषित करना।
		11	बैंको से ऋण की किस्तों की वसूली मत्स्य पालकों से यथा समय करवाना।
		12	आच्छादित जलक्षेत्रों के सुधार, उनकी तैयारी, जीरा संचयन, खाद तथा कृत्रिम आहार एवं उनकी शिकारमाही तथा मछली विक्री में मत्स्य पालकों को सहयोग देना तथा तत्संबंधी सूचनाएँ संकलित कर रखना।
		13	जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदनों को यथा समय तैयार करना।
		14	प्रतिदिन किये गये कार्यो की एक दैनन्दिनी रखना जिसकी जाँच जिला मत्स्य पदाधिकारी/ कार्यालय प्रधान तथा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा की जायेगी।
		15	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को एजेन्सी एवं विभागीय सभी कार्यो में सहयोग देना तथा उनके निदेशानुसार कार्यो का सम्पादन करना।
		16	मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण में सक्रिय सहयोग देना।
		17	जिला मत्स्य पदाधिकारी / कार्यालय प्रधान की अनुपस्थिति में जिलास्तरीय बैठकों में भाग लेना।
		18	अन्य सभी कार्य जो समय-समय पर कार्यालय प्रधान, वरीय पदाधिकारीगण, निदेशक मत्स्य अथवा सरकार द्वारा आदेशित हो।

क्र.	पदनाम	कर्तव्य	
1	2	3	
2	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	1	अपने कार्य क्षेत्र के सभी जलक्षेत्रों एवं मत्स्य पालकों का सर्वेक्षण तथा पहचान करना एवं उनके प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अपने मंतव्य के साथ सूचित करना।
		2	अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के सभी आच्छादित तालाबों का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण करना और उनमें उन्नत तरीके से मत्स्य पालन करने में मत्स्य पालकों का मार्गदर्शन करना।
		3	मत्स्य पालकों की दैनन्दनी का समुचित रूप से संधारण कराकर उसे अद्यतन रखना।
		4	मत्स्य पालकों के तालाब का निरीक्षण कर मत्स्य पालकों की दैनन्दनी में अपने सुझावों को अंकित करना तथा इसका प्रतिवेदन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को देना।
		5	मत्स्य पालकों द्वारा तालाबों की यथा समय तैयारी कराकर उनमें मत्स्य बीज संचयन करवाना और समय पर उनकी शिकारामाही कराकर मछलियों की बिक्री आदि में उनका मदद करना तथा बैंक के कर्ज की निर्धारण किस्तो में अदायगी कराना।
		6	मत्स्य पालन कार्य में सभी प्रकार की प्रसार सेवा मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराना तथा विभागीय योजनाओं से उन्हें जोड़ना।
		7	प्रत्येक माह में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये लक्ष्य के अनुसार तालाबों का जीर्णोद्धार हेतु पहचान करना एवं मत्स्य पालकों से बैंक के लिये आवेदन प्राप्त करना।
		8	जलक्षेत्रों के सुधार कार्य को ठीक ढंग से हिताधिकारी द्वारा सम्पादित कराना तथा उसकी प्रगति से मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित करना।
		9	जलक्षेत्रों का सर्वेक्षण, मत्स्य पालकों की पहचान, आच्छादित जलक्षेत्रों का ब्योरा तथा अन्य आवश्यक सूचनायें प्रखंडवार पंजी में संधारित कर रखना तथा आवश्यकतानुसार मुख्यालय में उन्हें प्रेषित करना।
		10	जिला द्वारा बन्दोबस्ती किये गये अपने क्षेत्र के सभी सरकारी जलक्षेत्रों की वार्षिक जमा बन्दोबस्तकारों से समय पर वसूल कर उसे कार्यालय में रोकड़पाल के पास जमा करना तथा सैरात पंजी अद्यतन रखना।
		11	बैठकों/मत्स्य गोष्ठियों में भाग लेना और उसमें अपने कार्यो का प्रतिवेदन प्रेषित करना।
		12	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के निदेशानुसार विभाग द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं से संबंधित कार्यो का सम्पादन करना।

		13	प्रखण्ड स्तर पर अन्य विभागों की संचालित योजनाओं से मत्स्य प्रक्षेत्र की योजनाओं का अभिसरण कराना।
		14	अपने क्षेत्राधीन प्रखण्डों में मत्स्य बीज की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करना एवं विभागीय प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन में प्रगति लाना।
		15	अन्य सभी कार्य जो कार्यालय प्रधान, वरीय अधिकारीगण, निदेशक मत्स्य अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर आदेशित किया जाय।
		16	प्रत्येक माह समय पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से भ्रमण कार्यक्रम भ्रमण दैनन्दनी तथा भत्ता विपत्र प्रेषित करना।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 16–50+200 ।